निलामी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य के सभी जिलों के अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा ड्रैनों में वर्ष 2015–16 (1–9–2015 से 31–8–2016 तक) के लिए मछली पकड़ने के अधिकारों की निलामी दिनांक 2.7.2015 को दोपहर 12.00 बजे खुली बोली द्वारा जिला मत्स्य अधिकारी एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैंसी, रेलवे रोड़, सोनीपत के कार्यालय में की जायेगी।

प्रत्येक जिले के पानियों को छोटे–2 टुकड़ों में या इक्ट्ठा नीलाम किया जा सकता है तथा कुछ जिलों के पानियों को इक्ट्ठा मिलाकर भी निलामी की जा सकती है। जिस भी तरीके से अधिक बोली प्राप्त होगी, उसी प्रकार बोली छोड़ी जायेगी।

प्रत्येक बोलीदाता को 15,000/–रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) बतौर धरोहर राशि निलामी शुरू होने से पूर्व जमा करवानी होगी जो कि सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी जमा करवाने वालों को बोली समाप्त होने पर वापिस कर दी जायेगी। जिस बोलीदाता की बोली मंजूर होगी, उस सफल बोलीदाता को ठेके की पूरी धनराशि मौके पर जमा करवानी होगी अथवा ठेके की कुल बोली का 1/3 हिस्सा धनराशि मौके पर जमा करवानी होगी तथा 2/3 हिस्से की धनराशि निलामी की तिथि से 30 (तीस) दिन के अन्दर–2 जमा करवानी होगी। ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करवाई गई 1/3 हिस्से की धनराशि, धरोहर राशि तथा 5 प्रतिशत जमा करवाई गई कैश सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी। यदि उच्चतम बोली की धनराशि 15,000/–रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) से कम है तो पूरी धनराशि का मौके पर भुगतान करना होगा। जिस व्यक्ति के पक्ष में निलामी छोड़ी जायेगी उसको निलामी के तुरन्त बाद मत्स्य नियमों की ठीक प्रकार से अनुपालना के लिए कुल बोली की राशि के 5 प्रतिशत भाग के बराबर सिक्योरिटी जमा करवानी होगी।

जिला के पानियों की सूचि सम्बन्धित जिला के जिला मत्स्य अधिकारी एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैंसी के कार्यालय में किसी कार्यदिवस के समय प्राप्त की जा सकती है। ठेके की अन्य शर्तो व पानियों का विवरण निलामी के समय दिया जायेगा। जिस–2 जिला के अधिसूचित पानियों की निलामी दिनांक 2.7.2015 को पूर्ण नहीं होगी, उन जिलों के पानियों की निलामी आगे निम्न प्रकार से होगी। इच्छुक बोलीदाताओं को निम्नलिखित स्थान/समय पर पहुंचने के लिए अनुरोध किया जाता है।

निलामी की तिथि	निलामी का समय	निलामी का स्थान
9–7–2015	–उप–	कार्यालयः जिला मत्स्य अधिकारी एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैंसी, सोनीपत।
16–7–2015	–उप–	–उप–
23–7–2015	–उप–	–उप–
30.7.2015	–उप–	–उप–

हस्ता/–
(आर0के0सागवान)
निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
पंचकूला ।

पृ0 कमांक वि0स0—I—2015 / 5966—6216 पंचकूला, दिनांक 03..06.2015

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव प्रचार हेतू भेजी जाती हैः—

1. सभी उप—कार्यालय, मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा राज्य।

2. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य।

3. निदेशक मत्स्य पालन विभाग, पंजाब (चण्डीगढ), हिमााचल प्रदेश (बिलासपुर), राजस्थान (जयपुर), तथा उत्तर प्रदेश (लखनऊ) एवं डिप्टी वार्डन आफ फिशरिज राजकीय मत्स्य बीज फार्म, जी.टी. रोड, सीलमपुर, दिल्ली—53.

4. सभी मछली ठेकेदार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व उत्तर प्रदेश ।

5. निदेशक विकास एवं पंचायत हरियाणा, चण्डीगढ ।

6. सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य ।

7. सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य ।

हस्ता / —
(आर0के0सागवान)
निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
पंचकूला ।

AUCTION NOTICE

Auction of Fishing rights of Notified Waters, Rivers, Canals and Drains of all the districts of Haryana State for the year 2015-16 (01-09-2015 to 31-08-2016) shall be put to open public auction on 02-07-2015 at 12:00 Noon in the office of District fisheries Officer-Cum-Chief Executive Officer, Fish Farmers Development Agency, Railway Road, Sonepat.

The Public waters of district can be auctioned in parts or whole waters of adjoining few districts may also be auctioned jointly.

Every bidder shall be required to deposit a sum of Rs. 15000/- (Rs. Fifteen Thousand Only) as earnest money, which shall be returned after the auction, to the bidders, except the successful bidder. The person whose bid accepted shall pay the amount of highest bid offered by him for fishing in full at the time of auction or shall pay 1/3rd (one Third) amount of auction amount at the fall of hammer and the remaining 2/3rd (two Third) amount within 30 days from the date of auction. In case of failure to deposit the remaining 2/3rd amount by the bidder within the stipulated time of 30 days, the 1/3rd amount already deposited by the bidder along with the earnest money and 5% cash security shall be forfeited. In case where the bid amount shall be less than Rs. 15000/- (Rs. Fifteen Thousand Only) the whole amount shall have to be deposited at the fall of hammer. The person in whose favour the auction is closed shall at the fall off hammer, also deposit an amount equal to 5% of contract amount as cash security for faithful observance of Haryana Fisheries Rules.

The list of waters of the district can be procured from the office of the District Fisheries Officer-Cum-Chief Executive Officer, Fish Farmers Development Agency, of the District concerned during the office hours on any working day. The other terms and conditions of the contract and detail of the waters shall be announced at the time of auction. The auction of fishing right of those districts which shall not be completed on 02-07-2015 shall be held as per detail given below. Interested bidders are requested to reach at the mentioned places and time.

Date of auction	Time of auction	Place of auction
09-07-2015	12:00 Noon hours	District Fisheries Officer-Cum-Chief Executive Officer, Fish Farmers Development Agency, Railway Road, Sonepat.
16-07-2015	12:00 Noon hours	-do-
23-07-2015	12:00 Noon hours	-do-
30-07-2015	12:00 Noon hours	-do-

Sd/-
(R.K.Sangwan)
Director Fisheries Haryana,
Panchkula.

Endst. No. DA-I-2015/6217-6467 Panchkula, dated the 03-06-2015

A copy of forwarded to the following for information and necessary action, please:-

1. All the sub Officer, Fisheries Department in Haryana State.
2. All Deputy Commissioners in Haryana State.

3. Director Fisheries & Warden, Punjab (Chandigarh), Director Fisheries Himachal Pradesh (Bilaspur), Rajasthan (Jaipur), Utter Pradesh (Lucknow) and Deputy Warden of Fisheries, Govt. Fish Seed Farm, G.T. Road, Seelampur, Delhi-53.
4. All Fish Contractor Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh.
5. Director Development & Panchayat, Haryana, Chandigarh.
6. All District Development & Panchayat Officer in Haryana State.
7. All Block Development & Panchayat Officer in Haryana State.

Sd/-
(R.K.Sangwan)
Director Fisheries Haryana,
Panchkula.